सम्मिलित कमाण्डर सम्मेलन

20 अक्तूबर, 2005
नई दिल्ली

प्रधानमंत्री के भाषण से उद्धरण

सबसे पहले मैं अपने जवानों और अधिकारियों जो बड़ी बहादुरी से हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, के प्रति अपने सहयोगी माननीय रक्षा मंत्री के साथ आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सेना के उन जवानों और सैन्य महिलाओं के प्रति भी राष्ट्र की ओर से गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों में मदद की है। सुनामी आपदा, देश के विभिन्न भागों में आई बाढ़, चक्रवात और भूकंप, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में हाल में आए भूकंप से निपटने में हमारी सशस्त्र सेनाओं ने जिस मानवीयता और क्षमता का प्रदर्शन किया, उससे हम सभी को अपनी बहादुर सशस्त्र सेनाओं पर बहुत गर्व है।

भारत के समक्ष विविध, जटिल और जान-बूझकर पैदा की गई सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं। हमारे देश के आकार, हमारी अवस्थिति, हमारी ऐतिहासिक विरासत और इससे भी अधिक, उभरते हुए बहुध्रुवीय विश्व में हमारी अपेक्षित भूमिका को देखते हुए इसकी प्रत्याशा तो की ही जा सकती है।

शीत युद्ध का अंत, परस्पर बढ़ती वैश्विक निर्भरता और सीमा-पार से अनेक प्रकार के खतरों ने इस द्वि-ध्रुवीय विश्व में विकसित सामरिक संकल्पनाओं को कुछ हद तक अप्रासंगिक बना दिया है। आज अमरीका प्रमुख आर्थिक, सैन्य, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक शक्ति है। तथापि, यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि यूरोपीय संघ, रूस, चीन, जापान और भारत अपनी वैश्विक भूमिका निभाने में अपनी-अपनी स्थितियों को मजबूत कर लेंगे। हमें उभरते हुए बहु-ध्रुवीय विश्व के लिए संगत सुरक्षा सहयोग का एक नया प्रतिमान तैयार करना होगा जिसमें वैश्विक खतरों का जवाब विश्व के देशों द्वारा सामूहिक रूप से दिया जाए।

यह बिल्कुल वही बात है जिसकी मांग भारत ने रखी है। हम अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ के साथ सामरिक साझेदारी कर चुके हैं और चीन के साथ सामरिक सहयोग की दिशा में बढ़ रहे हैं। आज सभी राष्ट्र प्रतियोगिता और सहयोग में संलग्न है।

यद्यपि, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने वैश्वीकरण के आर्थिक और वाणिज्यिक आयामों के प्रबंधन के लिए एक नियम-आधारित व्यवस्था तैयार करने में कुछ प्रगति की है तथापि, आतंकवाद और व्यापक विनाश के हथियारों का प्रसार जैसे समकालिक सुरक्षा खतरों से निपटने हेतु प्रभावी और नियम-आधारित व्यवस्था की अत्यन्त कमी महसूस की गई है। इसके साथ-साथ, वैश्वीकरण ने हमारे पड़ोसी देशों और दूरस्थ देशों में अस्थिरता के कारण पैदा हुए खतरों को हमारे लिए और भी बढ़ा दिया है। इसके साथ-साथ, हमें इस क्षेत्र से बाहर की शक्तियों के इरादों के प्रति भी सावधान रहना होगा जो हमें छोटे-छोटे झगड़ों और स्थानीय समस्याओं में उलझाना चाहती हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी रणनीति को तीन व्यापक स्तम्भों पर आधारित रखना होगा। पहला, अपने आपको आर्थिक और प्रौद्योगिकीय रूप से सुदृढ़ करना; दूसरा, हमारी सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला करने और उनपर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रक्षा क्षमता हासिल करना और तीसरा, अपनी नीति और विकास सम्बंधी विकल्पों को व्यापक बनाने के लिए सामरिक मोर्चे और आर्थिक व प्रौद्योगिकीय मोर्चे, दोनों पर साझेदारी प्राप्त करना।

इसी परिप्रेक्ष्य में भारत भी वैश्विक शक्ति संतुलन में अन्य बड़े देशों के प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके लिए उनमें से प्रत्येक देश के साथ विवेकपूर्ण सौदेबाजी करना होता है। यह अवास्तविक प्रतीत होता है कि हम राष्ट्रों से बेकार के कारणों पर कार्यवाही करने की अपेक्षा करें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अंतिम रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की राजनीति का यह संतुलन शीत युद्ध के दौरान के संतुलन से ज्यादा नाजुक है। हमें इस नई वास्तविकता का मुकाबला करना सीखना होगा और इन उभरते हुए रूझानों के उपयुक्त मूल्यांकन पर आधारित अपनी दीर्घकालिक सुरक्षा योजना बनानी होगी।

परिणामस्वरूप, हमें बड़ी शक्तियों के साथ यथासंभव अधिक से अधिक मित्रवत पारस्परिक संबंध विकसित करने चाहिए। ऐसी बातचीत में सशस्त्र सेनाओं के लिए शस्त्र और उपकरण प्राप्त करना, रक्षा प्रणालियों का संयुक्त विकास करना और रक्षा सिद्धांतों का मूल्यांकन करना शामिल होना चाहिए। इससे हमें व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन सुनिश्चित करने में हर संभव मदद मिलेगी जब हमें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता महसूस होगी।

अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है कि एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था से सशस्त्र सेनाओं के लिए ठोस नींव पड़ती है। वे कहते हैं "राजकोष की सुदृढ़ता से ही सेना का निर्माण होता है।" लेकिन केवल राजकोषीय कारणों से सुदृढ़ हुई अर्थव्यवस्था ही हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि एक सुदृढ़, उभरती हुई और स्थिर अर्थव्यवस्था स्वयं सुरक्षा प्रदान करती है। "व्यापक राष्ट्रीय शक्ति" वाली नई विचारधारा शक्ति के आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, शैक्षिक और सांस्कृतिक पहलुओं को उच्च प्राथमिकता देती है। अब सेना की सुदृढ़ता किसी राष्ट्र की सुरक्षा की एकमात्र गारंटी नहीं है बल्कि ज्ञान-शक्ति और आर्थिक क्षमताएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

मुझे विश्वास है कि हमारा रक्षा समुदाय यह मानता है कि आर्थिक प्रगति से रक्षा उपकरणों का तीव्र आधुनिकीकरण हुआ है। आज के अंतर्राष्ट्रीय माहौल ने हमें विकास के लिए विश्व भर का वित्तीय प्रवाह अपनी ओर आकर्षित करने और भारत से सेवा और विनिर्माण की आउटसोर्सिंग करते हुए परस्पर लाभ के लिए बदले में अन्य देशों को अपना कौशल उपलब्ध कराने में समर्थ बनाया है।

हमारी सशस्त्र सेनाओं को हमेशा ही यह विश्वास दिलाया गया है कि हमारी सरकार रक्षा जरूरतों के लिए धनराशि ढूंढने से कभी परहेज नहीं करेगी और हमारे रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में जो कुछ भी कहा है, उसका मैं अनुमोदन करता हूं। फिर भी, यह स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी सरकार अपेक्षित संसाधनों की तलाश करना अधिक आसान समझेगी यदि अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होती है और यह अपेक्षित आय तथा राजस्व जुटाती है। यदि हमारी अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़े तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत

आबंटित करना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। इससे बेहतरीन रक्षा बजट का प्रबंध हो सकेगा। इसलिए, हमारी प्राथमिकता तीव्र आर्थिक वृद्धि करने हेतु नीतियां तैयार करने और ज्यादा संसाधन जुटाने की है।

आर्थिक वृद्धि की दर को बढ़ाने का हमारा प्रयास ऊर्जा सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए विवेकपूर्ण आर्थिक और सामरिक सोच-विचार पर आधारित एक व्यापक आधार वाली ऊर्जा नीति की जरूरत है। विवेकपूर्ण घरेलू मूल्य निर्धारण नीतियां तैयार करना, दीर्घकालिक निवेशों का वित्त-पोषण करना, ऊर्जा के स्रोतों को अपेक्षित दिशा में मोड़ना और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के अन्य उपाय करना हमारी राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में हमारे नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना राष्ट्रीय हित में भी महत्वपूर्ण होगा। जुलाई में अमरीका के मेरे दौरे के दौरान उस देश से किए गए समझौतों से मुझे आशा है कि जब ये लागू होंगे तो वे इस संबंध में हमारे लिए अत्यन्त मद्दगार साबित होंगे।

मुझे विश्वास है कि यह सुनिश्चित करना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है कि हमारे पड़ोसी देश एक संतुलित और स्थिर राजनैतिक व सामाजिक माहौल तथा एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के साथ समर्थ देश के रूप में उभरें। इस प्रक्रिया को ज्यादा असरदार बनाने में कूटनीतिक तथा नागरिक समाज की भी भूमिका होती है। दक्षिण एशिया को खुले समाजों और खुली अर्थव्यवस्थाओं का केन्द्र बनना होगा। यह हमारे हित में है और दक्षिण एशिया के सभी देशों के भी हित में है। राजनैतिक बहुलवाद और संतुलन से हमारा सुरक्षा माहौल स्थिर बन सकता है।

पूर्व और पश्चिम दिशा में हमारे समुद्री मार्गों की सुरक्षा में भी हमारे समक्ष काफी खतरे हैं। इसलिए भारतीय नौसेना को इन समुद्री मार्गों की सुरक्षा करने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करना होगा। हमें इन समुद्री मार्गों की सुरक्षा और अपनी व्यावसायिक व ऊर्जा सुरक्षा के लिए समान दृष्टिकोण वाले देशों के साथ व्यावहारिक गठजोड़ सुनिश्चित करना होगा।

हाल ही में, प्राकृतिक आपदाएं हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए कार्रवाई हेतु, एक बड़े कार्यक्षेत्र के रूप में उभरी हैं। सशस्त्र सेनाएं नागरिक प्राधिकारियों को सहयोग देने के अलावा मानवीय चुनौतियों से निपटने, विदेशों में क्षमताओं का प्रदर्शन करने तथा अन्य देशों की रक्षा सेवाओं का सहयोग लेने हेतु बुलाई जा रही हैं। ऐसी मांग तब और बढ़ेगी जब हमें भविष्य में अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें परिदृश्य सृजन और आपदा प्रबंधन में संलग्न होना पड़ेगा ताकि सभी आपदाओं से निपटने की तैयारी की जा सके।

पिछले वर्ष मैंने अपने भाषण में सैन्य आधुनिकीकरण और नवीनतम प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से संबंधित मुद्दों का कुछ विस्तार से उल्लेख किया था। मैं यह दोहराना चाहता हूं कि ये मुद्दे हमारे लिए प्राथमिकता बने रहेंगे। हमारे सशस्त्र बलों के लिए आधुनिक उपकरणों की जरूरत पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारी सरकार सशस्त्र सेनाओं के लिए सैन्य उपकरणों के लिए अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराएगी। मुझे खुशी है कि एक लम्बे समय के बाद हमारी सरकार अपनी सभी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से रक्षा उपकरणों की खरीद को बढ़ाने में सफल रही है। इस संदर्भ में, मैं प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और निर्णय लेने में लगने वाले समय को कम करने हेतु एक

व्यापक अधिप्राप्ति मैनुअल तैयार करने के लिए रक्षा मंत्रालय की सराहना करना चाहूंगा। यह रक्षा उपकरणों की खरीद को तेज करने, अधिक पारदर्शी बनाने और बेहतर निर्णय लेने के उद्देश्य पर आधारित प्रक्रिया संबंधी सुधार के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

रक्षा आयोजनाओं में सैन्य सेवा से जुड़े मुद्दों पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है जिनमें भूतपूर्व सैनिकों और हमारे सिपाहियों के निकट संबंधियों,,दोनों के लिए प्रशिक्षण और लाभ मुहैया कराना शामिल है। हमने भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक नया विभाग स्थापित किया है और एक वजीफा (स्कॉलरशिप) योजना भी आरंभ की है ताकि भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों की विधवाओं के बच्चों को शिक्षा हेतु मदद दी जा सके। हमने भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना को बेहतर बनाया है। हमें एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना शीघ्र करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। जैसा कि इसी विषय पर के. सुब्रह्मण्यम समिति द्वारा अनुशंसा की गई है। तथापि, अभी भी हमें इस बात पर नये सिरे से विचार करने की जरूरत है कि प्रशिक्षण में सर्वोत्तम सुधार कैसे लाया जाए और सेवाओं में अफसरों की भर्ती में कमियों पर किस तरह ध्यान दिया जाए।

अंत में, मैं एक बार फिर आपके समक्ष उस व्यावसायिकता और निष्ठा के लिए राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता और गर्व व्यक्त करता हूं जो आपने मातृभूमि की रक्षा करने और अपने देशवासियों की सेवा करने में हमेशा दिखलायी है। मेरी कामना है कि आपको अपने कार्यों में सफलता मिले।

धन्यवाद।